तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी0ए0/4498/2004/हनुमानगढ मीरा बनाम नानक व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.19	**खण्डपीठ** **श्री शिखर अग्रवाल,सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट श्री मनीष पाण्ड्या, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पो0 संख्या 7 रानी पुत्री लालसिंह एक राजस्व वाद विचारण न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर, पीलीबंगा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीया/रेस्पो0 रानी के पिता लालसिंह के फौत हो जाने के पश्चात उनको आवंटनशुदा खातेदारी कृषि भूमि में उसका 1/5 हिस्सा है जिसकी वह घोषणा करवाने की अधिकारीणी है। वादिया का भाई नानक व मृतक हुकमा के वारिसान वादिया का 1/5 हिस्सा हडपना चाहते है। इसलिए वादिया ने उक्त वाद प्रस्तुत करते हुये 1/5 हिस्से की डिक्री चाही व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही कि वाद के निस्तारण विवादग्रस्त भूमि का रहन बय मुन्तकिल नही करें। वाद में दावा व जवाब दावा के आधार पर तीन तकनीयात कायम करते हुये विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.03 से वादीया/रेस्पो0 7 को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.03 से ग्रसित होकर रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 /प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपीलीय न्यायालय ने अपने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी0ए0/4498/2004/हनुमानगढ मीरा बनाम नानक व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय व डिक्री दिनांक 07.8.04 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.04 को निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 07.8.04 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि आवंटी लालसिंह का स्वर्गवास होने पर उसकी बेवा नंदकौर सहित 2 पुत्र व 3 पुत्रियों का बहिस्सा बराबर 1/6–1/6 धारित हुआ व बेवा नंदकौर के फौत होने पर विवादित आराजी का उसके वारिसान में 1/5–1/5 हिस्सा धारित हुआ था । वादीया ने अपने 1/5 तक ही वाद प्रस्तुत किया था तथा प्रतिवादी/अपीलांट ने वाद के कथनों को स्वीकार करते हुये अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हकर 1/5 हिस्सा की घोषणा चाही। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर ने उसे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लालसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस मानते हुये उसका काउन्टर क्लेम स्वीकार कर लिया। अपीलांट के काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने के निर्ण्य विरूद्व रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 को अलग से अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम के स्वीकार किये हुये निर्णय को अपील अधिकारी ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निरस्त किया है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपील अधिकारी के समक्ष आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के तहत दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र पेश किय जाने पर उन्हे अपीलांट/प्रतिवादी व वादीया को रिबटल का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित कराना चाहिए था किन्तु अपील अधिकारी ऐसा नहीं कर विधि विरूद्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी0ए0/4498/2004/हनुमानगढ मीरा बनाम नानक व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय पारित कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपील अधिकारी ने अपना निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 की पालना करते हुये नही किया उन्होंने न तो वाद बिन्दु बनाकर उसका विवेचन किया और ना ही वाद बिन्दु अनुसार निर्णय किया इसलिए अपील अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि वादिया/रेस्पो0 7 दिनांक 02.5.87 को नाबालिक थी और नाबालिग की तरफ से कोई दस्तबरदारी करवाई थी गई होगी तो तो उस पर वह प्रभाव शून्य है। दस्तबरदारी दिनांक 02.5.87 वादिया/रेस्पो0 7 द्वारा निष्पादित दस्तावेज नहीं है बल्कि वादिया की प्राकृतिक संरक्षक एवं माता द्वारा वादिया की नाबालिग अवस्था में उसकी कुदरती वलिया की हैसियत से निष्पादित एवंम पंजीकृत दस्तावेज है। यह दस्तावेज प्रारम्भ से शून्य नहीं है। प्रश्नगत सम्पत्ति लालसिंह की आवंटित भूमि थी जिसमें नाबालिग वादिया का भी हक था उसके हिस्से की भूमि उसकी प्राकृतिक संरक्षिका द्वारा हस्तांतरण करने का विधिसम्मत अधिकार था। विचारण न्यायालय ने इस विधिक पहलू को नजर अंदाज किया है। प्रश्नगत दस्तबरदारी वादयिा की नाबालिग अवस्था में उसकी माता द्वारा संरक्षिका की हैसियत से निष्पादित व पंजीकृत दस्तावेज है जिसे सक्षम न्ययालय में चुनौती देकर निरस्त करवाया जा सकता है इसके अभाव में राजस्व न्यायालय में वादिया अनुतोष पाने की अधिकारिणी नही है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादीया/अपीलांट का काउन्टर क्लेम पोषणीय नहीं था। प्रतिवादीया/अपीलांट ने यह दस्तबरदारी दिनांक 02.5.87 को निष्पादित व पंजीबद्व करवाई हैं। इस दस्तावेज को सिविल न्यायालय में चुनौती दिये बिना विवादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है। काउन्टर क्लेम विधि विरूद्व स्वीकार करने का निर्णय पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी0ए0/4498/2004/हनुमानगढ मीरा बनाम नानक व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली तथा प्रस्तुत रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली तथा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में यह पाया जाता है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील में दावे व प्रतिदावे दोनों की पृथक–पृथक दों अपीलें करनी चाहिए थी जबकि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है। पृथक–पृथक दों अपीलों के अभाव में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी को प्रतिदावे की डिक्री को अपास्त करने के क्षेत्राधिकार का अभाव सिद्व होता है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में तथाकथित रिलीज डीड जो प्रस्तुत की गयी है वह कभी भी विचारण न्यायालय में न तो पेश की गयी है और न ही उसका परीक्षण कर प्रदर्श करवाया गया है जो भी आवश्यक था। इस प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 की पूर्णतया अवहेलना की गयी है और वाद बिन्दु बनाकर न तो विवेचन किया गया है और ही निर्णय किया गया है जो गंभीर विधिक त्रुटि है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा भी प्रकरण में बनाई गयी तनकी के अनुसार न तो तनकीवार विवेचन किया गया है और न ही तनकी वार निर्णय पारित किया गया है। जो भी विधिक गंभीर त्रुटि है।

अतः उपरोक्त विवेचन व निष्कर्ष के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.04 व सहायक कलेक्टर, पीलीबंगा का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.03 को अपास्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, पीलीबंगा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी0ए0/4498/2004/हनुमानगढ मीरा बनाम नानक व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण पत्रावली व रिकार्ड का पूर्ण विवेचन व परीक्षण करते हुये करे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य** **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	